नम्बर
अहकाम
की तामील

नत्थुलाल बनाम माईलाल वगै0
मु0नं0 221/2022
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक –08.04.2025 को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा सेहीकला तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भुमि के ख.नं. 27 रकबा 0.05 है0, खसरा नबंर 34 रकबा 0.03 है0 , खसरा नम्बर 250 रकबा 1.86 है0 खसरा नम्बर 251 रकबा 1.18 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 3.12 है0 वाके मौजा सेहीकलां तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू मे पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.05.2012 में अंकितानुसार अलग–अलग खातेदार काष्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव में अंकित खसरा नम्बर 826/250 के स्थान पर 250/1 व 827/251 के स्थान पर 251/2 पढा जावे। तहसीलदार सूरजगढ को आदेषित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

(सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः—221 / 2022
नत्थूलाल बनाम माईलाल वगै0
निर्णय दिनांकः— 08.04.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती सुमन देवी II (आर.ए.एस.)

मु0नं0 221 / 2022
निर्णय दिनांकः— 08.04.2025

नत्थूलाल बनाम माईलाल वगै0
<u>दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 08.04.2025 को श्रीमती सुमन देवी II उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि—

"अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाके विवादित भूमि मौजा ग्राम सेहीकला तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भुमि के ख.नं. 27, 34, 250, 251 कुल किता 04 कुल रकबा 3.12 है0 वाके मौजा सेहीकला तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू में स्थित तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे।''

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ